न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

ुकदमा नंबर :– प्रार्थना पत्र/23/2019 तारीख रजु 07.08.2019

उनवान

ूलसिंह पुत्र भंवरया जाति लुहार निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

————सायल

बनाम

.तहसीलदार, तहसील हिण्डौन।

.सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुर नेमीसिंह पुत्र जलसिंह।

.ओमप्रकाश शर्मा सचिव ग्राम पंचायत शेरपुर पंचायत समिति हिण्डौन।

———गैरसायलान

पस्थिति:–

सायल की ओर से :–श्री श्यामलाल शर्मा एडवाकेट।

गैरसायल 2 व 3 की ओर से :–श्री राधेश्याम शर्मा एडवाकेट।

निर्णय

दिनांक 28.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायल की ओर वकालतन एक प्रार्थना पत्र न्तर्गत धारा 151 ग्राम चक शेरपुर के खसरा नंबर 430 रकबा 1.26हे. के संबंध में पेश कर सरा नंबर 430 ग्रम चक शेरपुर तहसील हिण्डौन की नक्शे में तरमीम मौके की वास्तविक थति के अनुसार होने तक खसरा नंबर 430 ग्राम चक शेरपुर के रिकॉर्ड व मौके की थति यथावत रखने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना । पर सायल वकील की एक पक्षीय बहस सुन मनन किया गया व पत्रावली में प्रस्तुत तावेजों का अवलोकन करने पर पाया की खसरा नंबर 430 रकबा 1.26हे. एवं खसरा र 430/1 स्थित ग्राम चक शेरपुर तहसील हिण्डौन में सायल की खातेदारी भूमि की जे में माहमत की तो अनावश्यक विवाद पैदा होगें। सायल का संयुक्त प्राईमाफेसी एवं धा का संतुलन साबित होने पर दिनांक 07.08.2019 को न्यायालय हाजा द्वारा अंतरिम ान आदेश पारित किया गया। साथ ही वकील सायल को गैरसायलान् की तलबी हेतु स्टर्ड तामील पेश करने हेतु आदेशित किया गया। गैरसायलान की रजिस्टर्ड तामील ेल पत्रावली की गई।

गैरसायल नंबर–1 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल वली किया गया जिसमें ग्राम चक शेरपुर में खसरा नंबर 430/1 रकबा 0.07हे. ायचक नहरी–2 एवं खसरा नंबर 430/2 रकबा 1.19हे. [illegible] भूमि फूलसिंह भंवरया र निवासी शेरपुर के नाम खातेदारी दर्ज है एवं [illegible] 1.19हे0 दारी भूमि में उक्त खातेदार फूलसिंह पुत्र भंवरया [illegible] बो रखी ्रम विकास अधिकारी व उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि सार्वजनिक कुं

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.11 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

निर्माण सरकारी मद से देवस्थान व धार्मिक आसथा के लिये पेयजल के लिये बनवाया या है।

गैरसायल 2 व 3 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल त्रावली किया गया। जबाब में सार्वजनिक कूप से सायल का कोई संबंध वास्ता नहीं है था अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त कुआं सिवायचक भूमि में प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति पश्चात तेयार कराया है जो पूर्ण हो चुका है। अप्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रार्थी वारा उक्त प्रकरण पेश करने सेपूर्व अप्रार्थी संख्या 2 को पंचायतीराज अधिनियम 1994 की रा 109 के तहत कानूनी नोटिस नहीं दिया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी तहसीलदार हिण्डोन द्वारा प्रस्तुत मौका पोर्ट का अवलोकन किया मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 430/2 रकबा 1.19हे. ातेदारी भूमि में खातेदार फूलसिह पुत्र भंवरया द्वारा सरसों की फसल बोना तथा खसरा बर 430/1 रकबा 0.07हे. सिवायचक भूमि में सार्वजनिक कुएं का निर्माण ग्राम पंचायत वारा पेयजल हेतु बनाया जाना अवगत कराया है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के र्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी पक्ष में माणित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल मार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया ाकर सुनाया गया।

28/02/2020
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.11 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner